संख्याः 10 /उन्तीस(2)/17–2(74 पे0)/2007

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 09 मई,2017

विषयः– **वर्ष 2017 में पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 180/अप्रै0–03/टैंकरों द्वारा जलापूर्ति/2016–17दिनांक 11 अप्रैल,2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में विभागीय टैंकरो/किराये के टैंकरो व जनरेटर द्वारा पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था पर होने वाले सम्भावित व्यय कुल रू0 732.95लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्याः 434 दिनांक 19 अप्रैल,2017 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 200.00लाख का कम करते हुए अवशेष रू0 532.95लाख के सापेक्ष रू0 100.00लाख(रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शैडयूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(iv) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(v) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत – 101–शहरी जलपूर्ति–05–नगरीय पेयजल–12–ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था टैंकर/खच्चर/जनरेटर–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामें डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या– H **17005130793** दिनांक 09 मई,2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च,2017 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII (1)/2017, दिनांक 31 मार्च,2017 में निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0सं0 161 (1)/उन्तीस(2)/16–2(74 पे0)/2007,तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।